आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 279/इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2014-15

मे. हर्मन कॉटेक्स एंड सीड्स प्रा. लि., खरगोन	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-2, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीसीएच 2497 आर		

अपीलार्थी की ओर से	अर्पित गौर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्रीमती अशिमा गुप्ता, आयकर आयुक्त

सुनवाई तिथि	10.05.2019
उद्घघोषणा तिथि	10.05.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-2, इंदौर के आदेश दिनांक 18.01.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष आवेदन दिनांक 09.05.2019 दाखिल किया है जिसमें उक्त अपील वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने हेतु

अनुरोध किया गया है । सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः उन्होंने इस अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 10.05.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 10.05.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल